आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

20/5/24

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-422/2013-14

(1) कृष्णा उराँव,
(2) भोकरे उराँव
(3) मंगलु उराँव ..... आवेदकगण।

बनाम्

(1) पुनम सिंह,
(2) वीणा देवी
(3) मीणा देवी
(4) निलय देवी ..... विपक्षीगण।

आदेश

आवेदकगण (1) कृष्णा उराँव, वो (2) भोकरे उराँव वो (3) मंगलु उराँव, तीनों के पिता–सोहराई उराँव, जिसमें मंगलु उराँव की मृत्यु हो गई है। आवेदक गण संख्या–03 मंगलु उराँव अपने पीछे पत्नी–नंदनी देवी, दो पुत्र–(1) रवि उराँव (2) विशाल उराँव एवं पुत्री–करिश्मा कुमारी को छोड़ गये। जाति–उराँव, निवासी ग्राम–मधुकम, थाना–सुखदेवनगर, जिला–राँची के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। आवेदकगण ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी जमीन विपक्षीगण सं०–(1) पुनम सिंह, पति–अमरेन्द्र सिंह (2) वीणादेवी, पति–आशिष सिन्हा (3) मीणादेवी, पति–योगेन्द्रप्रसाद (3) निलय देवी, पति–जितेन्द्र वर्णवाल सभी का निवास स्थान पता–मधुकम, थाना–सुखदेवनगर,जिला–राँची, द्वारा छल प्रपंच एवं नाजायज ढ़ंग से हड़प लिया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकबा
मधुकम	204	19	715	05 कट्ठा 08 छटा कडी०

कृ०पृ०उल्टे

M:-J 20/5/24

आवेदकगण ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान में डेलया उराँव, वल्द मैशा उराँव के नाम से दर्ज है। शपथ पत्र में डेलया उराँव के एक पुत्र सोहराई उराँव थे, इनकी भी मृत्यु हो गई है। वह अपने पीछे कृष्णा उराँव, भोकरे उराँव, मंगलु उराँव को छोड़ गये, जो तीनों आवेदकगण भाई है। डेलया उराँव ने एक निबंधित पट्टा से बालपोश नामा से सोहराई उराँव को गोद लिया गाँव वालों के सामने तथा उराँव धार्मिक अनुष्ठान से गोद लिया, जिसका निबंधित गोदनामा डीड का सिरीयल नं०–7115 वर्ष 1973 जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है।

आवेदकगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदकगण को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारणपृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

आवेदकगण अपने लिखित बहस भी दाखिल किए लिखित बयान में कहा है कि वर्णित भूमि आर॰ एस॰ खतियान में जमीन डेलया उराँव, वल्द मैशा उराँव के नाम से कायमी दर्ज है। खतियानी रैयत डेलया उराँव ने सोहराई उराँव को गोद लिए, जो उसका करीबी रिश्तेदार था और सोहराई उराँव को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। सोहराई उराँव अपने पीछे तीन पुत्र (1) कृष्णा उराँव, वो (2) भोकरे उराँव, वो (3) मंगलु उराँव, को छोड़ गये। आवेदक संख्या–(3) मंगलु उराँव के मृत्यु के कारण उत्तराधिकारी के रूप में उनके पत्नी एवं बच्चों को नाम दाखिल करने हेतु आवेदन दिया गया है, जो आवेदन स्वीकृत है।

विपक्षीगण को वर्णित भूमि की नोटिस डाक के माध्यम से भेजी गयी, विपक्षीगण उपस्थित होकर अपना कारणपृच्छा दाखिल करने के बाद लगातार अनुपस्थित रहें। इसके पश्चात् पुनः नोटिस निर्गत किया गया, किन्तु विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुएं। आवेदकगण की ओर से न्यायालय में डाक के माध्यम से निर्गत नोटिस का Track Consignment दाखिल किया गया है। पुनः अखबार के माध्यम से नोटिस प्रकाशित

कृ०पृ०उल्टे

M:- 20/5/24

किया गया। परन्तु विपक्षीगण अनुपस्थित रहें हैं, तत्पश्चात् वाद को एकपक्षीय सुनवाई करने का अनुरोध किया गया, और आवेदन पर सुनवाई एकपक्षीय करने हेतु स्वीकृत किया गया। आवेदक की ओर से गवाह प्रस्तुत किये गये, जिसमें गवाह संख्या–(1) भोकरा उराँव, जो आवेदक है, इन्होंने अपने शपथ–पत्र में गवाह दिये है कि विपक्षीगण छल–प्रपंच से जमीन को दखल कर लिए है। विपक्षी ने जो कागजात दाखिल किए है, वह फर्जी है। आवेदकगण की ओर से एक स्वतंत्र गवाह संख्या–(2) टाफा कुजूर, पिता–स्व० माधो कुजूर को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गवाह द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान दिया गया है कि उपरोक्त जमीन सोहराई उराँव की है और सोहराई उराँव को डेलया उराँव ने उराँव धार्मिक रीति–रिवाज के अनुसार गोद लिये है एवं विपक्षीगण गलत तरीके से जमीन हड़प लिये है। विपक्षीगणों द्वारा सादा बिक्रीनामा न्यायालय में दाखिल किया गया है जो फर्जी प्रतीत होता है। विपक्षीगणों द्वारा उपायुक्त से भी अनुमति नहीं लिया गया है।

आवेदकगण की ओर से उपरोक्त जमीन से संबंधित न्यायालय में निम्नलिखित कागजात दाखिल किया है, (i) बालपोश नामा, निबंधित पट्टा (ii) सोहराई उराँव के नाम पर दाखिल–खारिज के बाद अंचल मालगुजारी रसीद की छाया–प्रति। आवेदकगणों द्वारा बतलाया गया कि वर्णित भूमि पर विपक्षीगण कुल रकबा–05 कट्ठा 08 छटाक पर मकान बना लिए है, और कुछ खाली है। जमीन आवेदकगण का है। तत्पश्चात् विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वाद को आदेश पर रखा गया।

आवेदकगण के आवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में आदिवासी रैयत के नाम से कायमी दर्ज है और आवेदकगण की अपनी खतियानी भूमि है।

उपरोक्त तथ्यों और कागजात से स्पष्ट है कि विपक्षीगण आदिवासी रैयत की खतियानी कायमी जमीन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 का उल्लंघन कर नाजायज एवं गैरकानूनी रूप से दखलकार है।

20/5/24

कृ०पृ०उल्टे

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का धारा 71 "A" के अंतर्गत के प्रश्नगत् जमीन पर विपक्षीगण (1) पुनम सिंह, पति–अमरेन्द्र सिंह, कुल रकबा–$1^1/_2$ कट्ठा (2) वीणा देवी, पति–आशिष सिन्हा, कुल रकबा–1 कट्ठा (3) मीणा देवी, पति–योगेन्द्र प्रसाद, कुल रकबा–1 कट्ठा (4) निलय देवी, पति–जितेन्द्र वर्णवाल, कुल रकबा–$1^1/_2$ अवैध रूप से दखलकार है, को बेदखल करते हुए, आवेदकगण को जमीन वापस किया जाता है तथा विपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत् भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 (तीन) माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, हेहल राँची को दखल–देहानी हेतु आदेश निर्गत करें। यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आवेदक गण एवं खतियानी रैयत के वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

20/5/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

20/5/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.09 12:18:03 +05:30
Location: 192.168.51.130